न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021/ (Bank Case)
Manual no- 104/2021

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय– एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नंबर–307–312, थर्ड फलोर, अग्रसेन सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है। जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जंगशेर खान।
– प्रार्थी

बनाम

1. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री कमल किशोर शर्मा **(ऋणी / बंधककर्ता)** पताः मं. नं.– ए–23, गायत्री विहार, बजरंग नगर, नियर राम मन्दिर, कोटा (राज.) 324001 एंव प्लॉट नं. 11, खसरा नं. 38, महाराणा प्रताप रेजिडेन्सी, ग्राम मानपुरा, तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.)
2. केशव सेल्स एजेन्सी जर्ये प्रोपराइटर श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा, पता– प्लॉट नं. 11, खसरा नं. 38, महाराणा प्रताप रेजिडेन्सी, ग्राम मानपुरा, तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.) एंव शॉप नं.–13, प्लॉट नं–6, जय अम्बे नगर, 80 फीट रोड, नियर न्यू बस स्टेण्ड, कोटा (राज.) 324001
3. श्रीमती मिताली शर्मा पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा **(सह–ऋणी)** पताः मं. नं.– ए–23, गायत्री विहार, बजरंग नगर, नियर राम मन्दिर, कोटा (राज.) 324001 एंव प्लॉट नं. 11, खसरा नं. 38, महाराणा प्रताप रेजिडेन्सी, ग्राम मानपुरा, तहसील– लाडपुरा, कोटा (राज.) – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री एल.एस. राजपूत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः–20 .10.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय– एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नंबर–307–312, थर्ड फलोर, अग्रसेन सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 25.03.2019 को 31,23,259/–(अक्षरेः रूपये इकत्तीस लाख तेईस हजार दो सौ उनसठ मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं.– 11, खसरा नं.–38, महाराणा प्रताप रेजिडेन्सी, ग्राम मानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका माप लगभग 123.61 वर्गगज है जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2019 से सत्येन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री कमल किशोर शर्मा के नाम है। चतुःसीमा पूर्व में– रोड, पश्चिम में– अन्य की सम्पति, उत्तर में–प्लॉट नं. 10 , दक्षिण में–प्लॉट नं. 12 है** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.02.2021 को एन.पी. ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 34,50,532/–रूपये (अक्षरेः– चोतीस लाख पचास हजार पाच सौ बत्तीस रूपये मात्र।) दिनाक 06.02.2021 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

जिला मजिस्ट्रेट

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''कंचन केसरी'' व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टेडर्ड'' में दिनांक 23.02.2021 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वाराThe Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को दिनांक 19.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''कंचन केसरी'' व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टेडर्ड'' में दिनांक 23.02.2021 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 19.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''कंचन केसरी'' व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टेडर्ड'' में दिनांक 23.02.2021 को प्रकाशित करवाया गया, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं.– 11, खसरा नं.–38, महाराणा प्रताप रेजिडेन्सी, ग्राम मानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका माप लगभग 123.61 वर्गगज है जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2019 से सत्येन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री कमल किशोर शर्मा के नाम है। चतुःसीमा पूर्व में– रोड, पश्चिम में– अन्य की सम्पति, उत्तर में–प्लॉट नं. 10 , दक्षिण में–प्लॉट नं. 12 है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहरी) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा